

भारत में श्रमिक आन्दोलन (राजनीतिक सम्बद्धता के संदर्भ में)

तनुश्री बड़गोतिया*
डॉ. दिनेश कुमार गहलोत**

सार

श्रम, उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जिस राष्ट्र के पास प्रचुर भूमि हो लेकिन कोई श्रम शक्ति न हो, वह कोई आर्थिक विकास या समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कृषि, उद्योग, खनन, परिवहन प्रणाली, व्यापार गतिविधियाँ, आदि सभी को उचित कामकाज के लिए पर्याप्त और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम आंदोलन, श्रमवर्ग लोगों के एक सामूहिक संगठन के विकास के लिए अपने कर्मचारियों और सरकारों से, विशेष रूप से श्रम संबंधों को शासित करने वाले विशिष्ट कानूनों के कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर आचरण के लिए अपने स्वयं के हित में अभियान चलाने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द है। श्रम विवाद एक नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच रोजगार की शर्तों को लेकर असहमति है। इसमें रोजगार की शर्तों, अतिरिक्त लाभ, काम के घंटे, कार्यकाल और सामूहिक सौदेबाजी के दौरान बातचीत की जाने वाली मजदूरी, या पहले से सहमत शर्तों के कार्यान्वयन से संबंधित विवाद शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और खराब कानूनी प्रक्रियाएँ औद्योगिक शांति को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। राजनीतिक कारण राजनीतिक बाधा, संघ प्रतियोगिता, कुल वस्तु विनिमय, विभिन्न प्रकार के कार्य कानूनों का परिणाम हैं। अधिकांश एक्सचेंज यूनियनों कुछ राजनीतिक सभाओं की सहायक पायी गयी हैं। इस शोधपत्र का उद्देश्य भारत में श्रमिक आन्दोलन का राजनीतिक सम्बद्धता के संदर्भ में अध्ययन कर सम्बद्धता के स्तर का अध्ययन करना है।

शब्दकोश: श्रमिक आन्दोलन, राजनीतिक सम्बद्धता, श्रम विवाद, औपनिवेशिक शासन, पूंजीवाद, कारखाना अधिनियम, कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी।

प्रस्तावना

भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के तहत पूंजीवाद के आगमन के साथ हुआ था। यह श्रम के अपेक्षाकृत आधुनिक संगठन और श्रम के लिये मुक्त बाजार के अर्थ में एक आधुनिक मजदूर वर्ग था। यह विकास के लिये आधुनिक कारखानों, रेलवे, डॉकयार्ड, सड़कों और भवनों से संबंधित निर्माण गतिविधियों की स्थापना के कारण हुआ था।

इसमें बागान और खदान श्रमिकों का भारी शोषण किया गया था लेकिन शुरुआत में उनकी स्थितियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि प्रारंभिक समाज सुधारकों, पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बावजूद बागान श्रमिकों ने बागान मालिकों और प्रबंधकों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ खुद ही अपना विरोध दर्ज कराया गया था।

* शोधकर्ता, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

** सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

श्री लोखंडे ने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी जो भारत में श्रमिक संघ आंदोलन की एक तरह से शुरुआत थी। इस आंदोलन के अन्य प्रारंभिक संगठन जैसे 1897 में रेलवे सर्वेंट्स की समामेलित सोसायटी, 1905 में कलकत्ता के प्रिंटर्स यूनियन और 1907 में मद्रास और कलकत्ता पोस्टल यूनियन थे।

टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसे मजदूर महाजन संघ के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना वर्ष 1920 में अहमदाबाद में हुई थी। कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिये बोनस की मांग को लेकर अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन के बाद यूनियन का गठन किया गया था। इस संघ ने गांधीवादी तर्ज पर काम किया और कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हो गया था।

भारत में श्रमिक संघों का विकास निम्नलिखित छह चरणों में हुआ है।

- 1918 से पहले— भारत में श्रमिक आंदोलन की उत्पत्ति
- 1918 से 1924— प्रारंभिक ट्रेड यूनियन चरण
- 1925 से 1934— वामपंथी ट्रेड यूनियनवाद का काल
- 1935 से 1938— कांग्रेस का शासनकाल
- 1939 से 1946— श्रमिक सक्रियता की अवधि
- 1947 से वर्तमान तक— स्वतंत्रता के बाद ट्रेड यूनियनवाद

1918 से पहले— भारत में श्रमिक आंदोलन की उत्पत्ति

1850 के दशक में कपड़ा और जूट मिलों की स्थापना के साथ-साथ रेलवे लाईन बिछाने के बाद, श्रमिकों पर किये जा रहे अत्याचार प्रकाश में आने लगे थे। हालाँकि श्रमिक आंदोलनों की उत्पत्ति 1860 के दशक में हुई थी। भारत के इतिहास में पहला श्रमिक आंदोलन 1875 में बॉम्बे में हुआ था। यह एस.एस. बंगाली के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसने श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1875 में प्रथम कारखाना आयोग की नियुक्ति हुई थी जिसके परिणामस्वरूप, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। 1890 में एम.एन.लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। यह भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ था। इसके बाद पूरे भारत में विभिन्न संगठनों की स्थापना की गई थी।

1918 से 1924— प्रारंभिक ट्रेड यूनियन चरण

इस अवधि में भारत में सही मायने में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्म हुआ था। इसे औद्योगिक जगत में यूनियनों की तर्ज पर संगठित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण बिगड़ी जीवन स्थितियों और बाहरी दुनिया के संपर्क के परिणामस्वरूप श्रमिकों में वर्ग चेतना बढ़ गई थी। इसने आंदोलन के विकास के लिए आधार प्रदान किया। इस काल को प्रारंभिक ट्रेड यूनियन काल के नाम से भी जाना जाता है। पञ्च भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन महासंघ, 1920 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय, और जोसेफ बैप्टिस्टा, एन.एम. जोशी और दीवान चमन लाल ने की थी।

1925 से 1934— वामपंथी ट्रेड यूनियनवाद का काल

यह युग बढ़ते उग्रवाद और क्रांतिकारी दृष्टिकोण से चिह्नित था। इसने आंदोलन में कई विभाजन भी होते देखे। एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरि जैसे नेताओं ने आंदोलन को नियंत्रित करने और इसे राष्ट्रवादी मुख्यधारा के साथ एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सरकार भी ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रति ग्रहणशील थी। 1926 के ट्रेड यूनियन अधिनियम और 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम जैसे कानूनों ने इसके विकास को गति प्रदान की थी। इसने कुछ दायित्वों के बदले में यूनियनों को कई अधिकार प्रदान किये थे। यह काल वामपंथ के प्रभुत्व से चिह्नित था। इसलिए, इसे वामपंथी ट्रेड यूनियनवाद का काल कहा जाता है।

1935 से 1938— कांग्रेस का शासनकाल

इस समयावधि को विभिन्न यूनियनों के बीच अधिक एकता द्वारा चिह्नित किया गया था। 1937 तक अधिकांश प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में थी। इससे अधिक से अधिक यूनियनों आगे आईं और राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुईं। प्रांतीय सरकारों द्वारा विभिन्न कानून पारित किए गए जिससे ट्रेड यूनियनों को अधिक शक्ति और मान्यता मिली।

कांग्रेस मंत्रालयों का दृष्टिकोण औद्योगिक शांति की रक्षा करते हुए श्रमिक हितों को बढ़ावा देना था। पूंजी के साथ श्रम का सामंजस्य एक उद्देश्य के रूप में देखा गया था। मंत्रालय वेतन वृद्धि और बेहतर जीवन स्थितियों को सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रहे थे। हालाँकि, कई मंत्रालयों ने हड़तालों को कानून और व्यवस्था का मुद्दा माना। इसे दबाने के लिए उन्होंने औपनिवेशिक मशीनरी का इस्तेमाल किया। इससे यूनियनों में काफी नाराजगी हो गयी थी।

1939 से 1946— श्रमिक सक्रियता की अवधि

द्वितीय विश्व युद्ध ने श्रमिकों के जीवन स्तर को और अधिक गिरा दिया था और इससे उनके आंदोलन को मजबूती मिली थी। युद्ध प्रयास के प्रश्न ने कम्युनिस्टों और कांग्रेस के बीच दरार पैदा कर दी थी। जिसने, अन्य मुद्दों के साथ मिलकर, आंदोलन में और अधिक विभाजन पैदा कर दिया था। हालाँकि, समग्र रूप से आंदोलन जटिल मुद्दों के कारण मजबूत हो पाया था। इसमें युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर कब्जे और उसके साथ हुई भारी मूल्य वृद्धि शामिल थी।

1946 के औद्योगिक रोजगार अधिनियम और 1946 के बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम जैसे कानूनों ने श्रम संघ आंदोलन को मजबूत करने में योगदान दिया। सामान्य तौर पर, आंदोलन अधिक मुखर हो गए और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे।

1947 से वर्तमान तक— स्वतंत्रता के बाद ट्रेड यूनियनवाद

इस अवधि को यूनियनों के प्रसार द्वारा चिह्नित किया गया था। इंटक का गठन मई 1947 में सरदार वल्लभभाई पटेल के तत्वावधान में किया गया था। तब से, पञ्च पर कम्युनिस्टों का वर्चस्व हो गया है। हिंदू मजदूर सभा का गठन 1948 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले किया गया था। बाद में यह समाजवादियों के प्रभाव में आ गया। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में हुई थी और वर्तमान में यह भाजपा से संबद्ध है।

स्वतंत्रता के बाद, ट्रेड यूनियनों तेजी से दलगत राजनीति से जुड़ गई थी। क्षेत्रीय पार्टियों के उदय से उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और प्रत्येक पार्टी ने अपना ट्रेड यूनियन बनाने का विकल्प चुना है। हालाँकि, 1991 के उदारीकरण के बाद उनका प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया है। ट्रेड यूनियन नेतृत्व के विरोध के कारण श्रम संहिता सुधार और न्यूनतम वेतन जैसे मुद्दे राजनीतिक मुद्दा बने हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने एक सामान्य मुद्दे को संबोधित करने के लिए विभिन्न यूनियनों को एक साथ आते देखा है। इनमें 1974 की रेलवे हड़ताल और 1982 की ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल हड़ताल शामिल हैं। हालाँकि, 1991 के बाद ऐसी हड़तालों को कम सार्वजनिक समर्थन मिलता देखा गया है। अनौपचारिक श्रम पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह असंगठित श्रमिकों की विशेष रूप से कमजोर स्थिति के कारण है। सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने असंगठित क्षेत्र से अपनी सदस्यता में वृद्धि दर्ज की है।

प्रमुख श्रमिक संघ और उनकी राजनीतिक संबद्धता

- अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से।
- इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस – पदकपंद छंजपवदंस ब्दहतमे से।
- भारतीय मजदूर संघ – भारतीय जनता पार्टी से।
- भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र – सीपीआई (एम) से।
- हिन्दू मजदूर सभा – समाजवादी पार्टी से।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। अपनी स्थापना के बाद से जब यूनियन पार्टी लाइनों पर संगठित हो गई थी उस समय एटक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत काम करने वाला प्राथमिक ट्रेड यूनियन संगठन था।

1945 से, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राजनीतिक रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एफ्जे ने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (थ्रू) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एफ्जे का संचालन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेंद्र कुमार और महासचिव अमरजीत कौर की अध्यक्षता वाली एक संस्था द्वारा किया जा रहा है। दोनों राजनेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध हैं। इसकी वर्तमान सदस्यता लगभग 2.7 मिलियन है।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एफ्जे) भारत में एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है। इसकी स्थापना 3 मई 1947 को हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ से संबद्ध है। श्रम मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2020 में एफ्जे की सदस्यता लगभग 34.0 मिलियन थी, जो इसे भारत में सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन बनाती है।

भारत को आजादी मिलने से ठीक 3 महीने पहले 3 मई 1947 को इंटक की स्थापना हुई थी। आचार्य जेबी कृपलानी, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने इंटक के संस्थापक सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उद्घाटन सत्र में भाग लेने वाले प्रतिष्ठित नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू, शंकरराव देव, जगजीवन राम, बी.जी. खेर, ओपी मेहता, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, रामचंद्र सखाराम रुइकर, मणिबेन पटेल और अन्य प्रमुख ट्रेड यूनियनवादी शामिल थे। स्थापना के बाद से ही इंटक का एआईसीसी के साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा है। कई मौकों पर इंटक और एआईसीसी के बीच संबंधों और आपसी हितों के मुद्दों पर दोनों संगठनों के बीच निरंतर बातचीत की आवश्यकता पर चर्चा हुई है। इंटक और एआईसीसी के बीच नियमित बातचीत के लिए 1967 में एआईसीसी द्वारा एक पांच सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी और गुलजारीलाल नंदा इसके संयोजक थे। इसी प्रकार 2002 के दौरान प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। समिति में तीन महासचिवों ने एआईसीसी का प्रतिनिधित्व किया था। इंटक की ओर से अध्यक्ष जी.संजीव रेड्डी, तत्कालीन महासचिव और दो उपाध्यक्षों ने प्रतिनिधित्व किया था। बाद में जी.संजीव रेड्डी को सीडब्ल्यूसी में शामिल किया गया था।

भारतीय मजदूर संघ

भारतीय मजदूर संघ भारत में एक ट्रेड यूनियन है। इसकी स्थापना दत्तोपंत टेंगड़ी ने 23 जुलाई 1955 को की थी। भारतीय मजदूर संघ स्वयं 10 मिलियन से अधिक सदस्यों का दावा करता है। श्रम मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2015 में भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता लगभग 10 लाख थी। भारतीय मजदूर संघ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ से संबद्ध नहीं है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की श्रमिक शाखा है और संघ परिवार का हिस्सा है।

भारतीय मजदूर संघ ने कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया था। वामपंथियों ने देवेगौड़ा सरकार और गुजराल सरकार काएनडीए सरकार के कार्यकाल में भी, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के मित्र थे का समर्थन किया था। जिसके कारण भारतीय मजदूर संघ को श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध करना पड़ा। अब मोदी सरकार के कार्यकाल में सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण के विरोध में 10 जून 2020 को देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था।

भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन है। सीपीआई (एम) से सम्बन्धित, भारतीय ट्रेड यूनियनों केंद्र आज भारत के श्रमिकों और वर्गों की सबसे बड़ी सभाओं में से एक है। इसकी भारत के त्रिपुरा राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल, केरल और कानपुर में भी अच्छी उपस्थिति है। 2023 में सीटू की सदस्यता लगभग 6,200,000 है।

1970 में स्थापित, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, जिसे संक्षेप में सीटू कहा जाता है, भारत में प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में से एक है, जिसे भारत सरकार और आईएलओ द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लगभग 5.5 मिलियन कर्मचारी सदस्य हैं। सीटू की मुख्य गतिविधियाँ श्रमिकों के संवैधानिक, कानूनी और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए हैं; उनके आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए; राष्ट्रीय विकास में उनका समावेश; न्यायसंगत आर्थिक वितरण के लिए आदि से सम्बन्धित है। सीटू भारत में लाखों कामकाजी लोगों को शामिल करने वाले किसानों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों और पेशेवरों के कई अन्य ट्रेड यूनियनों और संगठनों के साथ काम करता है।

हिंद मजदूर सभा

हिंद मजदूर सभा (एचएमएस) का गठन 1948 में समाजवादियों द्वारा किया गया था, लेकिन इसका सोशलिस्ट पार्टी से बहुत कम वास्तविक संबंध है। यह भारत में सबसे कम राजनीतिक और सबसे व्यावहारिक ट्रेड-यूनियन महासंघों में से एक है। हिंद मजदूर सभा मुक्त व्यापार संघों के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ से संबद्ध है।

हिंद मजदूर सभा की स्थापना 29 दिसंबर 1948 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में समाजवादियों, फॉरवर्ड ब्लॉक अनुयायियों और स्वतंत्र संघवादियों द्वारा की गई थी। इसके संस्थापकों में बसावन सिंह (सिन्हा), अशोक मेहता, आर.एस. शामिल थे। रुइकर, मणिबेन कारा, शिबनाथ बनर्जी, आर.ए. खेडगीकर, टी.एस. रामानुजम, वी. एस. माथुर, जी.जी. मेहता आर.एस. रुइकर को अध्यक्ष और अशोक मेहता को महासचिव चुना गया। हिंद मजदूर सभा ने रॉयलिस्ट इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर और हिंद मजदूर पंचायत को समाहित कर लिया, जिसका गठन 1948 में तेजी से कम्युनिस्ट प्रभुत्व वाले एआईटीयूसी को छोड़कर समाजवादियों द्वारा किया गया था। मार्च 1949 में, हिंद मजदूर सभा ने 618,802 की संयुक्त सदस्यता के साथ 380 संबद्ध यूनियनों का दावा किया था।

निष्कर्ष

राजनीतिक अस्थिरता और लम्बी कानूनी प्रक्रियाएँ औद्योगिक शांति को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। राजनीतिक कारण राजनीतिक बाधा, संघ प्रतियोगिता, कुल वस्तु विनिमय, विभिन्न प्रकार के कार्य कानूनों का परिणाम हैं। भारत स्थित अधिकांश श्रमिक संघ कुछ राजनीतिक सभाओं की सहायक पायी गयी हैं।

1926 के ट्रेड यूनियन अधिनियम एवं 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम जैसे कानूनों ने इसके विकास को गति प्रदान की थी। इसने कुछ दायित्वों के बदले में यूनियनों को कई अधिकार प्रदान किये थे। यह काल वामपंथ के प्रभुत्व से चिह्नित था। इसलिए, इसे वामपंथी ट्रेड यूनियनवाद का काल कहा जाता है। 1937 तक अधिकांश प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में थी। इससे अधिक से अधिक यूनियनों आगे आई और राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुईं।

हिंद मजदूर सभा का गठन 1948 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले किया गया था। बाद में यह समाजवादियों के प्रभाव में आ गया। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में हुई थी और वर्तमान में यह भाजपा से संबद्ध है। ट्रेड यूनियन भावी राजनीतिक नेताओं के लिए जमीनी स्तर का आधार प्रदान करते हैं और ट्रेड यूनियन नेतृत्व के करियर का राजनीतिक क्षेत्र में लाभ मिलता है और कई ट्रेड यूनियन नेता देश में उच्च राजनीतिक पदों पर आसीन हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Harold Crouch, Trade Unions and Politics in India, Bombay, Manaktalas, 1966; 24. K.N. Vaid, "Political Unionism and Industrial Relations in India", Indian Journal of Social Work, July, 1968.
2. पुनेकर एस.डी. (1958): आउटसाईड लीडरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन्स, ए बाम्बे सर्वे, इकोनोमिक्स वीकली वाल्यूम 10, पेज 877-879
3. श्रीवास्तव डी.के. (2001), ट्रेड यूनियन्स सिचुएशन इन इण्डिया: व्यू ऑफ सेण्ट्रल ट्रेड यूनियन आर्गनाइजेशन, इण्डियन जर्नल ऑफ इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्स, वाल्यूम 36 नम्बर 4 पेज 463-478
4. सी.पी. ठाकुर (1976): इण्डियन जर्नल ऑफ इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्स, वाल्यूम 12 नम्बर 14 पेज 6
5. Mathur A.S. and Mathur, J.S. (1964), Trade Union Movement In India, Chaitany Publishing House, Allahabad.
6. चक्रवर्ती ए, घोष पी एवं रॉय जे (2020), एक्सपर्ट कैचरड् डेमोक्रेसीज, अमेरिकन ईकोनोमिक्स रिव्यू, वाल्यूम 110 नम्बर 6 पेज 1713-1751
7. Ralph James; Politics and Trade unions in India, Institute of Pacific Relations, 1958, p.41, 42.
8. Taher, M.A. (1996), "The Financial Health of Trade Unions in Bangladesh", Journal of Business Administration, Vol. 22. NO. 3-4.

